

भूमि सुधार उप समाहर्ता का न्यायालय पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।

आदेश की तिथि	आदेश	आदेश पर की गई कार्रवाई के बाद टिप्पणी तारीख साथ												
28.04.18	<p>प्रस्तुत वाद कार्रवाई आवेदिका चन्दा कुमारी एवं श्री अजय कुमार प्रसाद पे0 स्व0 जय प्रकाश प्रसाद, साकिन गोईलकेरा के आवेदन पर गोविन्द प्रसाद पाड़ेया पे0 स्व0 गजानन्द पाड़ेया प्रदीप कुमार पाड़ेया, पे0 स्व0 गजानन्द पाड़ेया, विवके पाड़ेया पे0 स्व0 विजय कुमार पाड़ेया-बनाम्-प्रधान जोंको पे0 स्व0 सुदर्शन जोंको ग्राम गोईलकेरा के Section 16 के तहत Bihar Land Reforms (Fixation of Ceiling Area and Acquisition of Surplus Land) Act, 1961 के तहत वाद प्रारंभ किया गया था। वाद में निम्नांकित भूमि वाद भूमि है :-</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>मौजा</th> <th>थाना नं0</th> <th>खाता नं0</th> <th>प्लॉट नं0</th> <th>रकवा</th> <th>जमीन का किस्म</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>गोईलकेरा</td> <td>531</td> <td>66</td> <td>282</td> <td>0.07 डि0</td> <td>मकान सहन</td> </tr> </tbody> </table> <p>आवेदकगण के द्वारा प्रश्नगत भूमि के निबंधित केवाला मूल्य मात्र 91000/- रू0 समतुल्य राशि का 10 प्रतिशत 91000/- रू0 ट्रेजरी चलान सं0 00004 एवं 00003 दिनांक 27.02.2013 द्वारा भारतीय स्टेट बैंक चक्रधरपुर में जमा कर चलान की दूसरी छायाप्रति न्यायालय में जमा किया था। उक्त कृत के आलोक में आवेदिका के द्वारा धारा 16(3) के तहत में वाद की कार्रवाई प्रारंभ करने एवं अंतिम रूप से आवेदिका के पक्ष में निर्णय देने हेतु अनुरोध किया गया है। इस संबंध में तत्कालीन भूमि सुधार उप समाहर्ता सह अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा पत्रांक 95, दिनांक 15.05.2015 के द्वारा सरकारी वकील प0 सिंहभूम, चाईबासा से उचित राय प्राप्त करने हेतु पत्राचार किया गया, परंतु इस पर कोई भी समर्थन प्राप्त नहीं होने पर दिनांक 29.09.2015 को तत्कालीन भूमि सुधार उप समाहर्ता, पोड़ाहाट चक्रधरपुर के द्वारा वाद की कार्रवाई प्रारंभ की गई है। इस वाद में 2 (दो) कानूनी पक्ष है :-</p> <p>(1) Bihar Land Ceiling Act के धारा 16(3)(1) निम्नवत है :-</p> <p>When any transfer of land is made after the commencement of the Act to any person other than a co-sharer or a raiyat of adjoining land, any co-sharer of the transferor or any raiyat holding land adjoining the land transferred, shall be entitled, within three months of the date of registration of the document, of transfer, to make an application before the Collector in the prescribed manner for the transfer of the land to him on the terms and conditions contained in the said deed. उक्त धारा में निहित प्रावधान के अनुसार Pre-emption के अधिकार Adjoining रैयत को भूमि के निबंधित हस्तांतरण के तिथि के 3 महीने के अन्दर विक्रय मूल्य के समतुल्य राशि + विक्रय मूल्य के 10 प्रतिशत राशि को चलान की राशि को जमा करते हुए आवेदन सक्षम पदाधिकारी के यहाँ देना है।</p> <p>(2) श्री गोविन्द प्रसाद पाड़ेया एवं प्रदीप कुमार पाड़ेया दोनों के पिता गजानन्द पाड़ेया और विवके पाड़ेया पिता स्व0 विजय कुमार पाड़ेया पिता स्व0 विजय कुमार पाड़ेया के द्वारा प्रश्नगत भूमि मौजा गोईलकेरा, थाना नं0 531, खाता नं0 66, प्लॉट नं0 282, रकवा 0.07 डि0, जमीन का किस्म मकान सहन को प्रधान जोंको पे0 स्व0 सुदर्शन जोंको जाति हो को 91000/- रू0 के Condition राशि पर निबंधित केवाला सं0 1171, दिनांक 11.08.2009 के द्वारा हस्तांतरित कर दिया गया। क्रेता प्रधान जोंको हो (अनुसूचित जनजाति) समुदाय के है। इनके द्वारा भूमि क्रय</p>	मौजा	थाना नं0	खाता नं0	प्लॉट नं0	रकवा	जमीन का किस्म	गोईलकेरा	531	66	282	0.07 डि0	मकान सहन	
मौजा	थाना नं0	खाता नं0	प्लॉट नं0	रकवा	जमीन का किस्म									
गोईलकेरा	531	66	282	0.07 डि0	मकान सहन									

करने के साथ ही सी0एन0टी0 एक्ट की धारा 46 के तहत भूमि हस्तांतरण पर शर्त के साथ केवाला अनुसूचित जनजाति को करने का प्रावधान है।

Restrictions on transfer of their right by raiyat – (1) No transfer by a Raiyat of his right in his holding or any portion thereof, --

1. Chapter VII-A which was inserted by Sec. 2 of the CNT (Amendit) Act, 1944 (Act 44 of 1944). Ceased to have effect after the 1st April 1948.
2. Subs. by Sec. 14 of the CNT (Amendit) Act, 1947 (Act 25 of 1947), for original Sec. 48

- a) by mortgage or lease for any period expressed or implied which exceeds or might in any possible event exceed five years, or
- b) by sale, gift or any other contract or agreement, shall be valid to any extent :

Provided that a raiyat may enter into a 'bhugut bundha' mortgage of his holding or any portion thereof for any period not exceeding seven years or if the mortgage be a society registered or deemed to be registered under Bihar and Orissa Co-operative Societies Act, 1935 (B & O Act VI of 1935) for any period not exceeding fifteen years :

Provided further that –

an occupancy-Raiyat who is (a member of the Scheduled Tribes) may transfer with the previous sanction of the Deputy Commissioner his right in his holding or a portion of his holding by sale, exchange, gift or will to (another person, who is a member of the Scheduled Tribes and) who is a resident within the local limits of the area of the police station within which the holding is situate.

उपरोक्त तथ्यों एवं प्रावधान पर समेकित रूप से विचार करने के उपरांत निम्नलिखित स्थिति स्पष्ट होते हैं :-

- (i) आवेदिका के द्वारा निबंधित केवाला द्वारा प्रश्नगत भूमि हस्तान्तरण की तिथि 11.08.2009 के लगभग 4 वर्ष के उपरान्त राशि को चलान के माध्यम से भारतीय स्टेट बैंक चक्रधरपुर में जमा किया गया है, जो Land Ceiling Act के धारा 16(3) के निहित प्रावधान के अनुरूप नहीं है।
- (ii) आवेदिका अनुसूचित जनजाति के सदस्या नहीं है। जबकि क्रेता अनुसूचित जनजाति के सदस्य है। यदि Pre-emption के अधिकार के तहत मैं आवेदिका के पक्ष में आदेश किया जाता है तो यह सी0एन0टी0 एक्ट की धारा 46 का उल्लंघन होगा।

उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर आवेदिका चन्दा कुमारी एवं अजय कुमार प्रसाद के Pre-emption आवेदन पत्र को खारिज किया जाता है।

आदेश की प्रति उभय पक्ष के सभी पक्षकारों को उपलब्ध करावें।

Bleed
28.4.18
भूमि सुधार उपसमाहर्ता
पोड़ाहाट, चक्रधरपुर